<u>आवेदन पत्र</u>

प्रति,

1) श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,
कार्यालय पुलिस महानिदेशक अटल नगर,
नवा रायपुर रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)

2) श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक शंकर नगर,
रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)

3) श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर,
तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)

4) श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
आरक्षी केन्द्र खरोरा रायपुर,
तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :– 1) बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह 2) श्रीमती अंजू सिंह पति श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह दोनो निवासी म.नं. 86/73 महाराणा प्रताप होम्योपैथी कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) एवं 3) सुजीत कुमार सिंह पिता श्री सुभाष सिंह द्वारा एकमत व एकराय होकर षड़यंत्र पूर्वक की गयी धोखा–धडी, जालसाजी, छल–कपट, विश्वास भंग पर अपराध दर्ज किये जाने हेतु।

महोदय,

मै प्रवीण कुमार मलिक पिता श्री ब्रम्ह सिंह मलिक निवासी फ्लैट नं. बी–21 बैनियन ट्री एनक्लेव शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) का निवासी हूँ मै अपने स्वयं के कास्तकारी उपयोग हेतु जमीन खरीदने के संबंध मे पतासाजी कर रहा था तभी मेरा परिचय जमीन ब्रोकर विकास साहू से हुआ और उक्त ब्रोकर ने मुझे जानकारी दिया कि ग्राम मटिया तह. आरंग व जिला रायपुर (छ.ग.) मे जमीन बिक्री हेतु उपलब्ध है फिर मैने जमीन के संबंध मे आगे बात करने की इच्छा व्यक्त की तब उक्त ब्रोकर ने मेरी बैठक जमीन के मालिक के रूप मे बृजेन्द्र बहादुर

Praveen Malik

से करवायी फिर बृजेन्द्र बहादुर सिंह ने मुझे यह जानकारी दी कि उसके पास ग्राम मटिया प. ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तह. आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) मे लगभग 16.34 हेक्टे. याने लगभग 40 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसमें से बहुत जमीनो की रजिस्ट्री हो चुकी है और बाकी जमीने एग्रीमेन्ट की हुई है।

यह कि, फिर मुझे बृजेन्द्र बहादुर ने उक्त जमीन का मौका दिखाया और जमीन का चिन्हांकित किया हुआ नक्शा और साथ ही साथ उक्त जमीन के खसरा, बी–1 और नक्शे की प्रतिलिपी भी प्रदान किया जिससे मुझे विश्वास हो गया कि उक्त सभी जमीने बृजेन्द्र बहादुर की इकरारशुदा है और साथ ही साथ बृजेन्द्र बहादुर ने अपने फोन से मेरी बात सुजीत कुमार सिंह पिता श्री सुभाष सिंह से करवायी और उसने भी मुझे यही जानकारी दी वह भी जमीन बृजेन्द्र बहादुर के माध्यम से बेचेगा फिर हम लोगो के बीच मे दो गवाहो के सामने उक्त जमीन का सौदा राशि 9,51,000/– (अक्षरी नौ लाख इनक्यावन हजार रूपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से तय हुआ और फिर हम लोगो के बीच मे विधिवत रूप से लिखा–पढी किया जाना तय हुआ, जिसके अनुसार बृजेन्द्र बहादुर ने एक विक्रय इकरारनामा दिनॉक 13.10.2022 तैयार कराकर लाया जिसमे बृजेन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी संपूर्ण इकरारशुदा भूमि का खसरा नंबर और रकबा लगभग 40 एकड़ का हवाला और उनके मुल भूस्वामी का विवरण आदि दर्ज था और साथ ही साथ जमीन का प्रति एकड़ मुल्य और अग्रिम राशि का भी उल्लेख किया हुआ था।

यह कि, फिर मैने उक्त विक्रय इकरारनामा को सत्य व सही मानकर बृजेन्द्र बहादुर सिंह पर विश्वास करते हुए उक्त इकरारनामे मे अपने हस्ताक्षर दो गवाहो के सामने करते हुए बयाना राशि 30 लाख रूपये नगद बृजेन्द्र बहादुर सिंह को और राशि 11 लाख रूपये सुजीत कुमार सिंह पिता श्री सुभाष सिंह के नाम पर चेक से अर्थात कुल इस तरह 41,00,000/– (अक्षरी इकचालीस लाख रूपये मात्र) का भुगतान पूर्ण कर दिया जिसके बाद उक्त इकरारनामे मे मेरे और उक्त दोनो गवाहो 1) सफीक मोहम्मद पिता स्व. मोहम्मद इलाही पता वी.वी. विहार कॉलोनी मोवा रायपुर (छ.ग.) एवं 2) आकाश डागा पिता श्री जी.डी. डागा निवासी कुशालपुर रायपुर (छ.ग.) के सामने बृजेन्द्र बहादुर ने अपना हस्ताक्षर विक्रेता के स्थान पर और गवाहो ने गवाही के स्थान पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिया था।

Praveen Malik

यह कि, हम लोगो के बीच मे यह तय हुआ था जो उक्त इकरारनामा मे लिखी हुई सभी जमीन की रजिस्ट्री 06 महिने की अवधी भीतर बृजेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा मेरे पक्ष मे पूर्ण करायी जावेगी और साथ ही साथ यह भी लिखा था कि उक्त जमीन पूर्ण रूप से पाक–साफ, वाद–विवाद रहित और बृजेन्द्र बहादुर सिंह की इकरारशुदा है और उक्त जमीन के संबंध मे मै जॉच और आम सूचना आदि भी दे सकता हूँ जिसके अनुसार मैने उक्त सौदा होने के संबंध मे अपने अधिवक्ता के माध्यम से आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनॉक 06.12.2022 को प्रकाशित करवायी थी।

यह कि, जब मैने उक्त आम सूचना प्रकाशित करवायी तब इसके बाद एका–एक उक्त सौदाशुदा जमीनो के संबंध मे लगभग 37 भूस्वामियों की लिखित दावा आपत्ति मेरे अधिवक्ता के पास आयी और आम सूचना का खंडन भी प्रकाशित हुआ तथा उक्त सभी खंडनो मे खंडनकर्ता द्वारा अपनी–अपनी जमीनो का सौदा बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी म.नं. 86/73 महाराणा प्रताप होम्योपैथी कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) नही होना बताया फिर मैने जब इसकी जानकारी बृजेन्द्र बहादुर को दी तो वह मुझे घुमाने और टालने लगा और मुझसे झुठ बोलने लगा कि वह पुरी जमीन की रजिस्ट्री मुझे करवा देगा।

यह कि, इसके बाद एका–एक मुझे श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक धरसीवां रायपुर (छ.ग.) के यहॉ से एक नोटिस दिनॉक 27.12.2022 को आया तो यह पता चला कि उक्त सभी किसानो ने बृजेन्द्र बहादुर सिंह के खिलाफ धोखा–धड़ी का अपराध दर्ज किये जाने की शिकायत किये है और जिसमे मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करना है फिर मै उक्त थाने जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया था फिर इसके बाद मेरे पास बृजेन्द्र बहादुर आया और मुझसे क्षमा याचना करने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और मुझको विश्वास दिलाया कि मैने जो पैसा बयाने के रूप मे दिया हूँ उसको और नुकसानी के साथ मुझे कुल राशि 61,00,000/– (अक्षरी इकसठ लाख रूपये मात्र) के रूप मे वापस करेंगा।

Praveen Malik

यह कि, इसके बाद मेरे पास कोई और उपाय नही था जिसके चलते मै फिर से बृजेन्द्र बहादुर सिंह की बातो पर विश्वास कर बैठा और फिर से धोखा–धडी का शिकार हो गया क्योकि मैने दिनॉक 19.01.2023 को एक विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण पर हस्ताक्षर कर दिया जिसमे उक्त राशि 61,00,000/– (अक्षरी इकसठ लाख रूपये मात्र) की अदायगी हेतु दो चेक का क्रमांक, दिनॉक, राशि लिखी हुई थी और जो 1) बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह 2) श्रीमती अंजू सिंह पति श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह के खाते का था मुझे यह कहकर दिया गया था कि उक्त दोनो चेक के माध्यम से मुझे मेरा पूरा पैसा मय नुकसानी के प्राप्त हो जायेगा और साथ ही साथ किन्तु उक्त विक्रय इकरारनामे निरस्तीकरण दिनॉक 19.01.2023 की कंडिका क्रमांक 06 मे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुझे दिये गये उक्त दोनो चेक किसी भी कारणवश अनादरित/बाउंस हो जायेंगे तो उक्त विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण दिनॉक 19.01.2023 स्वयं समाप्त हो जावेगा फिर इसके बाद मैने जब दोनो चेको को अपने खाते मे प्रस्तुत किया तो उक्त दोनो चेक बाउंस हो गये और मैने बृजेन्द्र बहादुर सिंह और श्रीमती अंजू सिंह के खिलाफ कोर्ट मे चेक बाउंस का प्रकरण भी पेश किया जिसमें उक्त दोनो व्यक्ति राजीनामा करने का झांसा देकर मुझे घुमाते रहे और अंततः आज दिनॉक तक मुझे पैसा नही दिये है जिसके चलते उक्त विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण दिनॉक 19.01.2023 भी शुन्य हो गया फिर मुझे इसके बाद मुझे स्पष्ट रूप मे समझ मे आ गया कि उक्त तीनो व्यक्ति पुरी तरीके से मिले हुए है और सारी वस्तु–स्थिति एवं परिस्थिति को जानते और समझते हुए भी मेरे साथ एकमत व एकराय होकर षड़यंत्र पुर्वक धोखा–धडी, जालसाजी, छल–कपट, विश्वास भंग का अपराध किय है जिसके चलते मै उक्त तीनो व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही चाहता हूँ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे साथ 1) बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह 2) श्रीमती अंजू सिंह पति श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह दोनो निवासी म.नं. 86/73 महाराणा प्रताप होम्योपैथी कॉलेज के पांस न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) एवं 3) सुजीत कुमार सिंह पिता श्री सुभाष सिंह द्वारा एकमत व एकराय होकर षड़यंत्र पूर्वक की गयी धोखा–धडी, जालसाजी, छल–कपट, विश्वास भंग पर अपराध दर्ज करने की कृपा करें।

Praveen Malik

Praveen Malik

आवेदक
प्रवीण कुमार मलिक
पिता श्री ब्रम्ह सिंह मलिक
निवासी फ्लैट नं. बी–21 बैनियन ट्री एनक्लेव,
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)
मो.नं. 94255–05813

रायपुर (छ.ग.)
दिनॉक ..../09/2024

संलग्न दस्तावेज

01. विक्रय इकरारनामा दिनॉक 13.10.2022।
02. आम सूचना प्रकाशन दिनॉक 06.12.2022।
03. आम सूचना खंडन दिनॉक 07.12.2022 एवं 09.12.2022।
04. विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण दिनॉक 19.01.2023।
05. धनादेश अनादरण पत्रक दिनॉक 22.03.2023।

Praveen Malik

आवेदक
प्रवीण मलिक
रायपुर (छ.ग.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AB 096058

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

विक्रय इकरारनामा

प्रथम पक्ष/विक्रेता — **बृजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 56 वर्ष,**
पिता – श्री सुर्यभान सिंह,
निवासी – म.नं. 86/73 सुर्य निवास,
महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास,
न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर तह, व जिला रायपुर (छ.ग.)
आधार क्रमांक 6166 9453 1916

B.B.S.

द्वितीय पक्ष/क्रेता — **प्रवीण कुमार मलिक उम्र 43 वर्ष,**
पिता– श्री ब्रम्ह सिंह मलिक,
निवासी – फ्लैट नं. बी–21 बैनियन ट्री एनक्लेव,
शंकर नगर रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)
आधार क्रमांक 7849 2503 4180

यह कि, उभयपक्षों के मध्य यह इकरारनामा आज दिनांक मुकाम रायपुर (छ.ग.) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है :–

B.B.S.

Praveen Malik

01. यह कि, इस विक्रय इकरारनामा में विक्रेता को आगे चलकर प्रथम पक्ष के रूप में संबोधित एवं उल्लेखित किया गया है। इसी तरह क्रेता को आगे चलकर द्वितीय पक्ष के रूप में संबोधित एवं उल्लेखित किया गया है।

02. यह कि, प्रथम पक्ष की इकरारशुदा पाक–साफ भूमि जो वाके मौजा ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) मे स्थित जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	खसरा	रकबा	भूस्वामी
01	407/3	0.2000	कमला बाई पति भागीरथी
02	408/1	0.9000	अमित कुमार
03	397	0.0100	सुखचंद, धीरसिंह
04	396	0.0100	गणेश पिता ढेलू
05	384/1	0.0300	ड्रीम इन्फ्राटेक प्रा. लि.
06	399	0.0100	सुखवारो पिता मेघनाथ
07	400	0.0400	साधिन पति कार्तिक
08	395	0.0900	बेनीराम पिता आनंद राम साहू
09	382	0.0400	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
10	393	0.0800	दुर्गाप्रसाद टंडन पिता ईव व अन्य
11	401	0.0400	पुनिया बाई व अन्य
12	402	0.0600	हीरवंतीन पति साहेब दास
13	404	0.0400	पंचम पिता आनंद राम
14	392	0.0800	राजाराम पिता गुहा
15	403/1	0.0300	आत्मा पिता जगत
16	403/2	0.0200	श्यामलाल पिता जगत
17	385	0.0300	मोतिन बाई पति झगर
18	386	0.0200	हीरालाल पिता मोहनलाल व अन्य
19	384/1	0.0300	ड्रीम सिटी इन्फ्राटेक प्रा. लि.
20	384/2	0.0200	लखन पिता भोंदू
21	388	0.0500	परमेश्वर पिता बडकू
22	389	0.0900	शेरसिंह पिता विशाल सिंह
23	390	0.0100	लखन पिता भूनकू
24	391	0.0100	रमेश पिता संतराम
25	387	0.1000	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
26	382	0.0400	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
27	383	0.0300	सप्तऋषि पिता विशाल
28	343	2.6600	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
29	344	0.7400	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
30	347	0.2000	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
31	378	0.3100	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
32	380	0.1100	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
33	381	0.3000	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद

34	387	0.1000	सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद
35	379	0.5700	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
36	345	1.4800	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
37	346	0.5500	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
38	348	0.7600	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
39	382	0.0400	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
40	394	0.0400	शैलेन्द्र पिता बृजनंदन
41	342	0.0400	राजु पिता सुखनंदन
42	341/2	0.4800	कार्तिकराम वर्मा पिता अर्जुन वर्मा
43	377/1	0.3000	जगजीवन पिता चैतराम
44	377/11	0.4600	जितेन्द्र पिता चैतराम
45	377/8	0.2200	अरविंद पिता चैतराम
46	349	0.4600	अमरूत साहू पिता बिसनाथ साहू
47	350	0.7500	हीरालाल पिता मोहनलाल व अन्य
48	351/1	0.4000	ना.बा. बामन पिता घनाराम व अन्य
49	351/2	0.3500	मोतिन बाई पति/पिता झग्गर व अन्य
50	352/4	0.1700	संजय कुमार साहू पिता श्री संतराम साहू
51	352/3	0.2900	महेश कुमार साहू पिता श्री बुधेलाल साहू
52	352/2	0.3000	संतुराम साहू पिता बुधेलाल साहू
53	352/1	0.1300	बाबुलाल साहू पिता बुधेलाल साहू
54	353/2	0.2000	मंतराम साहू पिता गोकुल साहू
55	353/1	0.2500	सीयाराम निषाद पिता कुंवर सिंह निषाद
56	354	0.1300	बोधिन बाई यादव पिता/पति विष्णु यादव
57	355	0.1600	पंचराम यादव पिता कृपाल यादव
58	356	0.1600	केराबाई पति/पिता प्रेमलाल
59	408/1	0.9000	अमित कुमार राय पिता भागीरथी राय
60	407/3	0.2000	कमला बाई पति/पिता भागीरथी राय
61	398	0.0200	ड्रीम इन्फ्राटेक प्रा. लि.
	कुल खसरा 61	कुल रकबा 16.3400 हेक्टे.	

के रूप मे स्थित है जिसे प्रथम पक्ष रिक्त स्थिति मे विक्रय करना चाहता है तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि को रिक्त स्थिती मे क्रय करने हेतु सहमत है।

03. यह कि, प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा आपसी सहमति से उपरोक्त भूमि का मूल्य 9,51,000/- (अक्षरी नौ लाख इनक्यावन हजार रूपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से तय किया गया है तथा प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा बतौर बयाना स्वरूप कुल राशि 41,00,000/- (अक्षरी इकचालीस लाख रूपये मात्र) का भुगतान निम्नानुसार पूर्ण किया गया है 1) दिनॉक 10.10.2022 धनादेश क्रमांक 000022 राशि 11,00,000/- एच.डी. एफ.सी. बैंक शाखा देवेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) श्री सुजीत कुमार के नाम पर देय तथा राशि 30,00,000/- रूपये नगद के माध्यम से पूर्ण किया गया हैं जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रथम पक्ष द्वारा दो गवाहो के समक्ष इस इकरारनामा में अपने हस्ताक्षर कर प्रदान करता है ।

04. यह कि, प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा शेष प्रतिफल की राशि का भुगतान विक्रय विलेख निष्पादन अनुरूप पूर्ण किया जावेगा तथा उपरोक्त इकरारशुदा भूमि के विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही आगामी 06 माह की अवधी के भीतर बढते क्रम मे नियमानुसार पूर्ण करायी जावेगी तथा उपरोक्त प्रदत्त बयाना उपरोक्तानुसार उक्त रकबे के अंश मे समायोजित की जावेगी।

05. यह कि, प्रथम पक्ष की उक्त इकरारशुदा भूमि को पाक–साफ स्थिति अर्थात समस्त प्रकार के वाद विवादों, न्यायालीयन कार्यवाहीयों से मुक्त है तथा उपरोक्त भूमि से संबंधित समस्त वाद–विवादों एवं न्यायालयीन कार्यवाहीयों के निराकरण हेतु प्रथम पक्ष स्वयं जिम्मेवार होवेगा।

06. यह कि प्रथम पक्ष की उपरोक्त इकरारशुदा भूमि के पंजीयन हेतु संबंधित समस्त प्रमाणित दस्तावेज मुल पक्षकार से प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करावेगा तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि के पंजीयन की कार्यवाही सामने से पीछे की ओर अपने पक्ष मे या अपने किसी भी नामांकित व्यक्ति, कंपनी, फर्म आदि के नाम पर पूर्ण करवा सकेगा तथा उपरोक्त हेतु प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से सहमत है तथा पंजीयन शुल्क का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।

07. यह कि, प्रथम पक्ष की उपरोक्त इकरारशुदा भूमि के स्वत्व संबंधी जांच आदि द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण करायी जावेगी तथा उपरोक्त मे कोई भी विसंगतियां, हक व दावा, अधिकार किसी अन्य पक्ष का पाये जाने पर उक्त के निराकरण की संपूर्ण जवाबदारी मात्र प्रथम पक्ष की होवेगी तथा साथ ही साथ द्वितीय पक्ष द्वारा इसके संदर्भ मे दैनिक समाचार पत्र पर आम सूचना का प्रकाशन कराया जावेगा तथा उपरोक्त मे खण्डन, दावा, आपत्ति आदि आने की दशा मे उपरोक्त के निराकरण का भी संपूर्ण भार मात्र प्रथम पक्ष का होवेगा।

08. यह कि प्रथम पक्ष की इकरारशुदा उक्त भूमि आज दिनॉक को पाक–साफ, बंधमुक्त, ऋणमुक्त व समस्त संविदाओ, दायित्वो आदि से मुक्त है तथा उपरोक्त भूमि के संबंध मे कोई भी रहन, गहन, बंध पत्र, वसीयत, अनुबंध आदि किसी भी रूप मे, किसी भी माध्यम से निष्पादित नही किया गया है तथा उपरोक्त भूमि को विक्रय का करार किये जाने की पुर्ण अधिकारीता व पात्रता नियमानुसार प्रथम पक्ष को प्राप्त है।

09. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय की जा रही उपरोक्त भूमि पर उसके समस्त मुल भूस्वामी व उनके विधिक उत्तराधिकारियों व वारिसान आदि की पूर्ण सहमती है तथा उपरोक्त संबंध में किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार होवेगा तो उसके निराकरण की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होवेगी।

B. B. [signature] [signature]

10. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त भूमि के विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन हेतु हीला–हवाला व अकारण ही विलम्ब किये जाने की दशा मे द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होवेगा की भूमि के मुल भूस्वामी के साथ प्रथम पक्ष द्वारा किये गये करार के अनुरूप दोनो पक्षो को सम्मिलित करते हुए संविदा के विशिष्ट अनुपालानार्थ वाद प्रस्तुत कर उपरोक्त भूमि के विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही पुर्ण करा लेवे तथा उसमे हुए समस्त हर्जे, खर्चे व नुकसानी का भी देनदार प्रथम पक्ष होवेगा।

11. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा समस्त संविदाओ का परिपालन नियत समय अवधी मे पुर्ण कर दिये जाने के उपरांत भी द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही नियत समय अवधी मे पुर्ण नही कराये जाने की दशा मे यह इकरारनामा समाप्त हो जावेगा।

12. यह कि, प्रथम पक्ष शब्द की अभिव्यक्ति से उसके सभी दायद उत्तराधिकारी, विधिक वारीसान एवं विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित समझे व माने जावेंगे।

13. यह कि, द्वितीय पक्ष शब्द की अभिव्यक्ति से उसके सभी दायद उत्तराधिकारी, विधिक वारीसान एवं विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित समझे व माने जावेंगे।

अतः उपरोक्त विक्रय इकरारनामा आज दिनांक को मुकाम रायपुर (छ.ग.) में दो गवाहों के समक्ष उभय पक्षकारों ने पढ़कर, पढ़वाकर, सूनकर व समझकर, स्वस्थ चित्त की अवस्था में, उपरोक्त वर्णित संविदाओ के पालन की अभिस्वीकृति में अपने–अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर निष्पादित कर दिए ताकि सनद् रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

रायपुर (छ.ग.) दिनांक 13/10/2022

गवाह :–

1. हस्ताक्षर ....
   नाम – शकील मोहम्मद (लल्ली)
   पिता – स्व. महबूब इलाही
   पता – वि. वि. विहार कॉलोनी मोवा रायपुर

2. हस्ताक्षर ....
   नाम – प्रकाश यादव
   पिता – स्व. चंदन लाल यादव
   पता – संजय नगर मिलन चौक के पास रायपुर (छ.ग.)

प्रथम पक्ष / विक्रेता

....

द्वितीय पक्ष / क्रेता

....

थे। तभी सोमनी के पास यह हुआ। खड़े ट्रक के पीछे टकराने से सिर में गंभीर चोट जिसके बाद ज्यादा खून बहने की मौत हो गई। ...वार को में अंतिम संस्कार किया जानकारी अनुसार युवराज व अपने परिवार सहित दगांव में निवासरत थे। भिलाई धिक दूरी न होने के चलते क्सर भिलाई से राजनांदगांव से ही आना-जाना करते थे। पल्लव ने कहा कि युवराज का कार्य सराहनीय था। उन्होंने कई बड़े मामले सुलझाए हैं।

हादसे में उनका हेलमेट और बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी।

सिर और चेहरे में गहरी चोट आने से बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही सोमनी पुलिस ने उन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहा इलाज के दौरान रात 12 बजे के आसपास अंतिम सांस ली।

कुर्सी छिन गई। वहीं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी एक वोट से पास हो गया। वोटिंग के दौरान पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 5 दिसंबर को फ्लोर टेस्ट की तिथि तय हुई। डेट फाइनल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी 10 पार्षद परिवार समेत 28 नवंबर को अज्ञातवास पर चले गए।वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में लेटलतीफी को लेकर पार्षदों को बिलासपुर हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ना पड़ा था। इसलिए 7 दिन तक अज्ञातवास में रहे। फिर सोमवार मतदान के आधे घंटे पहले यानी सुबह साढ़े 11 बजे सीधे नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे।

दो साल पहले नगर पंचायत लोहारा में निकाय चुनाव हुआ था और उषा श्रीवास अध्यक्ष बनी थीं। नगर के कुल 15 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के 7- 7 पार्षद चुनकर आए थे।

न्यायालय नजूल अधिकारी कोण्डागांव,
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

// ईश्तहार //

राजस्व प्रकरण क्रमांक-
202209201500022/अ-6/2021-2022

एतद् द्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री मनफेर प्रसाद सिंह जाति क्षत्रीय निवासी मेसनेट 46 सेक्टर-1 शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) के द्वारा नगर कोण्डागांव के मोहल्ला सरगीपाल पारा स्थित भूमि शीट नम्बर- 02 भूखण्ड क्रमांक 513/18 क्षेत्रफल 4220 वर्गफीट भूमि खाली जगह नजूल संधारण खसरा में श्रीमती कुसुम सिंह पति श्री मनफेर प्रसाद सिंह राजपुत के नाम से दर्ज है। आवेदक के माता की मृत्यु दिनांक 08.01.2020 को होने के कारण फौती नाम खारिज कर मृतक के वैध वारिस का नाम दर्ज करवाने हेतु तलवाना, नक्शा, खसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति सहित इस में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार का कोई दावा या आपत्ति करना हो तो वे दिनांक 09.12.2022 तक अपना दावा आपत्ति मेरे समक्ष कार्यालय समय में स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28.11.2022 को जारी किया जाता है।

नजूल अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

आम सूचना

ग्राम तेलीबांधा प.ह.नं. 64 रा.नि.मं. रायपुर-9 तेलीबांधा रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. स्थित परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 15014 / 86 रकबा 0.0257 हे. याने 2765.50 वर्गफुट भूमि मय मकान के संबंध में

सर्वविदित हो कि मेरे पक्षकारगण श्रीमती रोशनी जैन पति श्री प्रणय जैन एवं प्रणय जैन पिता श्री अनिल कुमारजैन दोनों निवासी विला- ए - 89 आलाया आनंदम वर्ल्ड सिटी मेनरोड कचना रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. ने विक्रेता रविन्द्र कुमारसक्सेना पिता श्री ब्रम्हप्रकाश सक्सेना निवासी म.नं. 468 सुंदरनगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम तेलीबांधा प.ह.नं. 64 रा.नि.मं. रायपुर- 9 तेलीबांधा रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. स्थित परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 15014/86 रकबा 0.0257 हे. याने 2765.50 वर्गफुट भूमि मय मकान को क्रय करने का पक्का सौदा कर बयाना राशि अदा कर विक्रय इकरारनामा का निष्पादन कर दिया गया है केवल बैनामा पंजीयन की कार्यवाही शेष है।

अतः उपरोक्त वर्णित संपति के स्वत्व, अंतरण, के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक, शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज मेरे नीचे लिखे कार्यालय में कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद म्याद मेरे पक्षकार द्वारा विक्रय विलेख का निष्पादन अपने पक्ष में करा लिया जावेगा। तत्पश्चात प्रस्तुत आपत्ति शून्य व अवैध होने से मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

सो सूचना जानें।
रायपुर छ.ग.
दिनांक 05-12-2022

(विपुल नायक) अधिवक्ता
सी-1 /94 सेक्टर-7, आर. डी. ए कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर जिला रायपुर छ.ग.
मो.नं. 8770663832

आम सूचना

इस आम सूचना के द्वारा आम जनता, बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि को सूचित किया जाता है कि, के.आर. क्रियेशन पता- गोल्डन टावर न्यू राजेन्द नगर रायपुर छ.ग. के स्वामित्व की संपत्ति जिसका खसरा क्रमांक 648/2 का भाग रकबा 1705 वर्गफुट प.ह.न. 64 रा.नि.म रायपुर/ 9, महर्षी वाल्मिकी वार्ड न. 32 सेंट जेवियर स्कूल के पास अवंति विहार मौजा- तेलीबांधा रायपुर छ.ग. है यह कि उक्त संपत्ति को श्री जोधाराम वाधवानी आ. श्री असुदा मल वाधवानी एवं श्रीमती दुर्गा वाधवानी पति- श्री जोधाराम वाधवानी निवासी- विशाल नगर, मठपुरेना रायपुर छ.ग. द्वारा क्रय कर मेरे पक्षकार बैंक ऑफ बड़ोदा के समक्ष उक्त संपत्ति को बंधक रख कर ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संपत्ति के स्वामित्व, आधिपत्य के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, निगम, निकाय, बोर्ड, प्राधिकरण, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, गृह निर्माण समिति, सहकारी संस्थायें, वित्तीय संस्थाएं आदि को कोई उज्र, आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 05 दिन के भीतर असल दस्तावेजों सहित अपनी लिखित आपत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा म्याद अवधि के बाद मेरे पक्षकार केनरा बैंक द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में आवेदक को ऋण सुविधा प्रदान कर दिया जावेगा। बिना दस्तावेजों के लिखित आपत्ति एवं म्याद अवधि के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी।

अतः सूचना जानें।
रायपुर (छ.ग.)
दिनांक- 05.12.2022

क्रांति कुमार शर्मा, कृष्णा शर्मा
अधिवक्तागण
'इन्द्राणी बसंत" स्ट्रीट-3, राममनोहर लोहिया कालोनी ब्रिज के पास मोवा, रायपुर छ.ग.
मो.न. 94242-26037, 91655-51111

आम सूचना

(ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित भूमि के संबंध में)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा विक्रेता श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) की इकरारशुदा भूमि जो ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है जिसके मुल भूस्वामी, खसरा क्रमांक एवं रकबा निम्नानुसार है 1) महेश कुमार साहू पिता श्री बुधेलाल साहू ख.क्र. 352/3 रकबा 0.2900 2) संतुराम साहू पिता बुधेलाल साहू ख.क्र. 352/2 रकबा 0.3000 3) बाबुलाल साहू पिता बुधेलाल साहू ख. क्र. 352/1 रकबा 0.1300 4) मंतराम साहू पिता गोकुल साहू ख.क्र. 353/2 रकबा 0.2000 5) सीयाराम निषाद पिता कुंवर सिंह निषाद ख.क्र. 353/1 रकबा 0.2500 6) बोधिन बाई यादव पिता/पति विष्णु यादव ख.क्र. 354 रकबा 0.1300 6) पंचराम यादव पिता कुपाल यादव ख.क्र. 355 रकबा 0.1600 7) केराबाई पति/पिता प्रेमलाल ख.क्र. 356 रकबा 0.1600 हेक्टे. भूमि को खरीदने का सौदा तय करते हुए बयाना राशि अदा कर दी गयी है मात्र विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही शेष है तथा उक्त समव्यवहार से जिस किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि को कोई हक, दावा व आपत्ति होवे तो इस आम सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधी के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें तथा मयाद पश्चात मेरे पक्षकार द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण करा ली जावेगी जो किसी भी स्वरूप मे बंधनकारी नहीं होवेगी।

सो सूचना जानें।
रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 05.12.2022

आर. के. ग्वालरे एडवोकेट एंड एसोसियेट्स,
पता - एस. - 10, मोबिन मेन्सन खालसा स्कूल के सामने, पंढरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 93000-38000

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को इस आम सूचना के माध्यम से सुचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री लाल शौर्यजीत सिंह पिता स्व. लाल मनवेन्द्र सिंह निवासी- रायपुर छ.ग. के संयुक्त हक की भूमि जो कि मौजा साजा प.ह.नं. 9/14 रा.नि.मं. साजा, तहसील साजा जिला बेमेतरा छ.ग. में स्थित है जिसका खसरा नंबर 113 रकबा 0.838 है, खसरा नंबर 1182 रकबा 0.07है., खसरा नंबर 2248 रकबा 0.10है., खसरा नंबर 2262 रकबा 0.02 है. खसरा नंबर 2264 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा नंबर 227 रकबा 4.22 है., खसरा नंबर 2335/1 रकबा 1.26 है., खसरा नंबर 2361/1 रकबा 0.27 है., खसरा नंबर 2366/1 रकबा 1.152 है., खसरा नंबर 2372 रकबा 0.02 है., खसरा नंबर 2381 रकबा 0.01है., खसरा नंबर 2444 रकबा 0.01 है., खसरा नंबर 2454 रकबा 0.48 है., खसरा नंबर 2520 रकबा 0.24 है., कुल खसरा 17 कुल रकबा 9.01 हेक्टेयर है जो कि राजस्व अभिलेखों में लाल शौर्यजीत सिंह पिता मनवेन्द्र सिंह के नाम पर दर्ज था उक्त भूमि के संबंध में मेरे पक्षकार एवं वंदना सिंह विरूद्ध लाल शौर्यजीत सिंह का आपसी बंटवारा विवाद होने पर व्यवहार न्यायालय वर्ग - 2 साजा वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा 29/09/2018 को निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध मेरे पक्षकार द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बेमेतरा छ.ग. में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया जिसका अपील क्र. 107अ/2018 है में दिनांक 12/02/2020 को आदेश पारित कर वंदना सिंह को भूमिस्वामी घोषित किया गया है उक्त डिक्री के विरूद्ध हमारे द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है जिसका अपील क्र. एस.ए. 237/2020 है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17/11/2022 को आदेश पारित कर उभय पक्ष को वाद भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है।

मेरे पक्षकार को यह ज्ञात हुआ है कि वंदना सिंह पिता लाल ज्ञानेन्द्र सिंह एवं अन्य के द्वारा राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने के पश्चात उसका लाभ लेते हुए वर्णित भूमि को अंतरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उपरोक्त व्यक्तियों को वाद भूमि के अंतरण व स्वत्व के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय से वर्णित भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के संबंध में उपरोक्त व्यक्ति वंदना सिंह पिता लाल ज्ञानेन्द्र सिंह व उसके अधिकृत व्यक्ति या उत्तराधिकारी से किसी प्रकार की संव्यवहार से विरत रहे, अपितु उपरोक्त व्यक्तियों से वर्णित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से संव्यवहार किया जाता है व क्रय-विक्रय किया जाता है तो यह माना जावेगा कि वह भूमि /संपत्ति क्रय न किया जाकर वाद- विवाद को क्रय किया जाना माना जावेगा तथा किसी भी प्रकार के अधिपत्य व स्वत्व वर्णित भूमि के संबंध में प्राप्त नहीं होगा।

रायपुर छ.ग.
दिनांक..........

ओमप्रकाश निर्मलकर, अधिवक्ता
न्यू मण्डी गेट रोड पंडरीतराई, रायपुर छ.ग.
मो.: 9575852864

आम सूचना

(ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित भूमि के संबंध में)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा विक्रेता श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) की इकरारनामा भूमि जो ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ. ग.) में स्थित है जिसके मुल भूस्वामी, खसरा क्रमांक एवं रकबा निम्नानुसार है 1) सुजीत कुमार पिता सुभाषचंद ख.क्र. 387, 343, 344, 347, 378, 380, 381, 387 रकबा 0.1000, 2.6600, 0.7400, 0.2000, 0.3100, 0.1100, 0.3000, 0.1000 2) शैलेन्द्र पिता बृजनंदन ख.क्र. 379, 345, 346, 348, 382, 394 रकबा 0.5700, 1.4800, 0.5500, 0.7600, 0.0400, 0.0400 3) अरविंद पिता चैतराम ख. क्र. 377/8 रकबा 0.2200 4) अमरनाथ साहू पिता बिसनाथ साहू ख.क्र. 349 रकबा 0.4600 5) हीरालाल पिता मोहनलाल व अन्य ख. क्र. 350 रकबा 0.7500 6) ना. बा. बामन पिता घनाराम व अन्य ख.क्र. 351/1 रकबा 0.4000 7) मोतिन बाई पति/पिता झग्गर व अन्य ख.क्र. 351/2 रकबा 0.3500 8) संजय कुमार साहू पिता श्री संतराम साहू ख. क्र. 352/4 रकबा 0.1700 हेक्टे. भूमि को खरीदने का सौदा तय करते हुए बयाना राशि अदा कर दी गयी है मात्र विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही शेष है तथा उक्त समव्यवहार से जिस किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि को कोई हक, दावा व आपत्ति होवे तो इस आम सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधी के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें तथा मयाद पश्चात मेरे पक्षकार द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण करा ली जावेगी जो किसी भी स्वरूप में बंधनकारी नहीं होवेगी।

सो सूचना जानें।
रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 05.12.2022

आर. के. ग्वालरे एडवोकेट एंड एसोसियेट्स,
पता - एस. - 10, मोबिन मेन्सन खालसा स्कूल के सामने, पंढरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 93000-38000

आम सूचना

(ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित भूमि के संबंध में)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा विक्रेता श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) की इकरारशुदा भूमि जो ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है जिसके मुल भूस्वामी, खसरा क्रमांक एवं रकबा निम्नानुसार है 1) कमला बाई पति भागीरथी ख.क्र. 407/3 रकबा 0.2000 2) अमित कुमार ख. क्र. 408/1 रकबा 0.9000 3) सुखचंद, धीरसिंह ख. क्र. 397 रकबा 0.0100 4) गणेश पिता बेनू ख.क्र. 396 रकबा 0.0100 5) ड्रीम इन्फ्राटेक प्रा. लि. ख. क्र. 384/1 रकबा 0.0300 6) सुखवारो पिता मेघनाथ ख. क्र. 399 रकबा 0.0100 7) ख.क्र. 400 रकबा 0.0400 8) बेनीराम पिता आनंद राम साहू ख. क्र. 395 रकबा 0.0900 9) शैलेन्द्र पिता बृजनंदन ख.क्र. 382 रकबा 0.0400 10) दुर्गाप्रसाद टंडन पिता ईव व अन्य ख.क्र. 393 रकबा 0.0800 11) पुनिया बाई व अन्य ख. क्र. 401 रकबा 0.0400 12) हीरबातीन पति सुरेश दास ख.क्र. 402 रकबा 0.0600 13) पंचम पिता आनंद राम ख.क्र. 404 रकबा 0.0400 14) राजाराम पिता गुहा ख.क्र. 392 रकबा 0.0800 15) आत्मा पिता जगत ख.क्र. 403/1 रकबा 0.0300 हेक्टे. भूमि को खरीदने का सौदा तय करते हुए बयाना राशि अदा कर दी गयी है मात्र विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही शेष है तथा उक्त समव्यवहार से जिस किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि को कोई हक, दावा व आपत्ति होवे तो इस आम सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधी के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें तथा मयाद पश्चात मेरे पक्षकार द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण करा ली जावेगी जो किसी भी स्वरूप में बंधनकारी नहीं होवेगी।

सो सूचना जानें।
रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 05.12.2022

आर.के.ग्वालरे एडवोकेट एंड एसोसियेट्स,
पता - एस. - 10, मोबिन मेन्सन खालसा स्कूल के सामने, पंढरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 93000-38000

आम सूचना

(ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित भूमि के संबंध में)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा विक्रेता श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) की इकरारशुदा भूमि जो ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है जिसके मुल भूस्वामी, खसरा क्रमांक एवं रकबा निम्नानुसार है 1) श्यामलाल पिता जगत ख. क्र. 403/2 रकबा 0.0200 2) मोतिन बाई पति झगर ख.क्र. 385 रकबा 0.0300 3) हीरालाल पिता मोहनलाल व अन्य ख.क्र. 386 रकबा 0.0200 4) ड्रीमसिटी इन्फ्राटेक प्रा. लि. ख.क्र. 384/1, 398 रकबा 0.0300, 0.0200 5) लखन पिता भोंदू ख. क्र. 384/2 रकबा 0.0200 6) परमेश्वर पिता बड़कू ख.क्र. 388 रकबा 0.0500 7) शेरसिंह पिता विशाल सिंह ख. क्र. 389 रकबा 0.0900 8) लखन पिता भुनकू ख.क्र. 390 रकबा 0.0100 9) रमेश पिता संतराम ख.क्र. 391 रकबा 0.0100 10) शैलेन्द्र पिता बृजनंदन ख.क्र. 382 रकबा 0.0400 11) सप्ताऋषि पिता बिशाल ख.क्र. 383 रकबा 0.0300 12) राजु पिता सुखनंदन ख. क्र. 342 रकबा 0.0400 13) कार्तिकराम वर्मा पिता अर्जुन वर्मा ख. क्र. 341/2 रकबा 0.4800 14) जागजीवन पिता चैतराम ख.क्र. 377/1 रकबा 0.3000 15) जितेन्द्र पिता चैतराम ख.क्र. 377/11 रकबा 0.4600 हेक्टे. भूमि को खरीदने का सौदा तय करते हुए बयाना राशि अदा कर दी गयी है मात्र विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन की कार्यवाही शेष है तथा उक्त समव्यवहार से जिस किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि को कोई हक, दावा व आपत्ति होवे तो इस आम सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधी के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें तथा मयाद पश्चात मेरे पक्षकार द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण करा ली जावेगी जो किसी भी स्वरूप में बंधनकारी नहीं होवेगी।

सो सूचना जानें।
रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 05.12.2022

आर.के. ग्वालरे एडवोकेट एंड एसोसियेट्स,
पता - एस. - 10, मोबिन मेन्सन खालसा स्कूल के सामने, पंढरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 93000-38000

आपत्ति पत्र

प्रति,

श्रीमान आर.के.ग्वालरे एडवोकेट एंड एसोसियेट्स,
पता– एस.–10, मोबिन मेन्सन खालसा स्कुल के सामने,
पंडरी रोड, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)

संदर्भ :– आम सूचना दिनॉक 06.12.2022 दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर रायपुर संस्करण।

विषय :– प्रकाशित आम सूचना का खंडन व आपत्ति।

महोदय,

यह कि, हमारे परिवार द्वारा ग्राम मटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) मे निम्नलिखित भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

ख.क्र. 352/4	रकबा 0.1700	संजय कुमार साहू पिता श्री संतराम साहू
ख.क्र. 352/3	रकबा 0.2900	महेश कुमार साहू पिता श्री बुधेलाल साहू
ख.क्र. 352/2	रकबा 0.3000	संतुराम साहू पिता बुधेलाल साहू
ख.क्र. 352/1	रकबा 0.1300	बाबुलाल साहू पिता बुधेलाल साहू

भूस्वामी हक मे संधारित की जाती है तथा आज दिनॉक तक हमारे द्वारा उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने का कोई भी सौदा, करार व बयाना आदि उक्त श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) से नही किया गया है तथा उक्त व्यक्ति द्वारा उपरोक्त भूमि को अपनी इकरारशुदा भूमि बताकर कोई भी समव्यवहार किया जाता है तो वह पूर्ण रूप से झुठा और फर्जी है जिस हेतु उक्त व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है।

अतः उपरोक्त प्रकाशित आम सूचना का खंडन व आपत्ति जाने।

Skumar

रायपुर (छ.ग.)
दिनॉक 07.12.2022

आपत्ति एवं खंडनकर्ता
संजय साहू
पिता श्री संतुराम साहू,
निवासी ग्राम भटिया तह.
आरंग जिला रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 97548–87482

आपत्ति पत्र

प्रति,

श्रीमान आर.के.ग्वालरे एडवोकेट एंड एसोसियेट्स,
पता— एस.—10, मोबिन मेन्सन खालसा स्कुल के सामने,
पंडरी रोड, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)

संदर्भ :— आम सूचना दिनॉक 06.12.2022 दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर रायपुर संस्करण।
विषय :— प्रकाशित आम सूचना का खंडन व आपत्ति।

महोदय,

यह कि, हमारे द्वारा ग्राम भटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) मे निम्नलिखित भूमि जिसके भूस्वामी का विवरण निम्नानुसार है जो सूची के रूप मे संलग्न है उक्त भूमि हमारे द्वारा सूची अनुरूप भूस्वामी हक मे संधारित की जाती है तथा आज दिनॉक तक हमारे द्वारा उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने का कोई भी सौदा, करार व बयाना आदि उक्त व्यक्ति श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री सुर्यभान सिंह निवासी महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) से नही किया गया है तथा उक्त व्यक्ति द्वारा उपरोक्त भूमि को अपनी इकरारशुदा भूमि बताकर कोई भी समव्यवहार किया जाता है तो वह पूर्ण रूप से झुठा और फर्जी है जिस हेतु उक्त व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है।

अतः उपरोक्त प्रकाशित आम सूचना का खंडन व आपत्ति जाने।

रायपुर (छ.ग.)
दिनॉक 09.12.2022

आपत्तिकर्तागण

(1) Kamla Bai
(2)
(3) संतोष कुमार बंजारे
(4) बैनीरामसाहू
(5)

यह कि, ग्राम भटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) मे निम्नलिखित भूमि जिसके भूस्वामी का विवरण निम्नानुसार है :–

खसरा	रकबा	भूस्वामी
407 / 3	0.2000	कमला बाई पति भागीरथी
408 / 1	0.9000	अमित कुमार
397	0.0100	सुखचंद, धीरसिंह मृत्यु
396	0.0100	गणेश पिता ढेलू मृत्यु
399	0.0100	सुखवारो पिता मेघनाथ मृत्यु
400	0.0400	साधिन पति कार्तिक मृत्यु
395	0.0900	बेनीराम पिता आनंद राम साहू
393	0.0800	दुर्गाप्रसाद टंडन पिता ईव व अन्य
401	0.0400	पुनिया बाई व अन्य
402	0.0600	हीरवंतीन पति साहेब दास मृत्यु
404	0.0400	पंचम पिता आनंद राम मृत्यु
392	0.0800	राजाराम पिता गुहा मृत्यु
403 / 1	0.0300	आत्मा पिता जगत मृत्यु
403 / 2	0.0200	श्यामलाल पिता जगत
385	0.0300	मोतिन बाई पति झगर
386	0.0200	हीरालाल पिता मोहनलाल व अन्य
384 / 2	0.0200	लखन पिता भोंदू
388	0.0500	परमेश्वर पिता बडकू
389	0.0900	शेरसिंह पिता विशाल सिंह
390	0.0100	लखन पिता भूनकू
391	0.0100	रमेश पिता संतराम
383	0.0300	सप्तऋषि पिता विशाल
342	0.0400	राजु पिता सुखनंदन
341 / 2	0.4800	कार्तिकराम वर्मा पिता अर्जुन वर्मा मृत्यु
377 / 1	0.3000	जगजीवन पिता चैतराम
377 / 11	0.4600	जितेन्द्र पिता चैतराम
377 / 8	0.2200	अरविंद पिता चैतराम
349	0.4600	अमरूत साहू पिता बिसनाथ साहू

350	0.7500	हीरालाल पिता मोहनलाल व अन्य
351/1	0.4000	ना.बा. बामन पिता घनाराम व अन्य
351/2	0.3500	मोतिन बाई पति/पिता झग्गर व अन्य
352/1	0.1300	बाबुलाल साहू पिता बुधेलाल साहू
353/2	0.2000	मंतराम साहू पिता गोकुल साहू
353/1	0.2500	सीयाराम निषाद पिता कुंवर सिंह निषाद
354	0.1300	बोधिन बाई यादव पिता/पति विष्णु यादव
355	0.1600	पंचराम यादव पिता कृपाल यादव
356	0.1600	केराबाई पति/पिता प्रेमलाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

AA 901060

विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण

प्रथम पक्ष/विक्रेता – बृजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 56 वर्ष,
पिता – श्री सुर्यभान सिंह,
निवासी – म.नं. 86/73 सुर्य निवास,
महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज के पास,
न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर तह, व जिला रायपुर (छ.ग.)
आधार क्रमांक 6166 9453 1916

द्वितीय पक्ष/क्रेता – प्रवीण कुमार मलिक उम्र 43 वर्ष,
पिता– श्री ब्रम्ह सिंह मलिक,
निवासी – फ्लैट नं. बी–21 बैनियन ट्री एनक्लेव,
शंकर नगर रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)
आधार क्रमांक 7849 2503 4180

यह कि, उभयपक्षों के मध्य यह विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण आज दिनांक मुकाम रायपुर (छ.ग.) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है :–

..2

1. यह कि, इस विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण में विक्रेता को आगे चलकर प्रथम पक्ष के रूप में संबोधित एवं उल्लेखित किया गया है। इसी तरह क्रेता को आगे चलकर द्वितीय पक्ष के रूप में संबोधित एवं उल्लेखित किया गया है।

2. यह कि, प्रथम पक्ष की इकरारशुदा पाक–साफ भूमि जो वाके मौजा ग्राम भटिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं.. व तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) मे विभिन्न खसरो व रकबो के रूपमे स्थित थी जिसको लेकर पूर्व मे प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य एक विक्रय इकरारनामा निष्पादित किया गया था एवं उक्त इकरारनामे के परिपेक्ष्य मे प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा अग्रिम स्वरूप कुल 41,00,000/– (अक्षरी एकचालीस लाख रूपये मात्र) का भुगतान नगद व धनादेश के माध्यम से पूर्ण किया गया था।

3. यह कि, प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित उपरोक्त विक्रय अनुबंध पत्र मे प्रथम पक्ष की त्रुटि व वास्तविक जानकारी के अभाव मे विभिन्न खसरे व रकबे उल्लेखित व वर्णित हो गये थे जो कि उपरोक्त विक्रय का अंग व भाग नही थे उपरोक्त त्रुटि मात्र एक मानवीय त्रुटि के रूप मे कारित हुई थी जिसके फलस्वरूप प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व मे निष्पादित उक्त विक्रय अनुबंध को आपसी सहमति व स्वीकृति के अनुरूप समाप्त किया जा रहा है।

4. यह कि, प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा अदा की गयी उपरोक्त बयाना राशि के परिपेक्ष्य मे बतौर नुकसानी स्वरूप कुल राशि 61,00,000/– (अक्षरी एकसठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है जिसके अनुरूप उपरोक्त दायित्व के निर्वहन मे प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 02 धनादेश क्रमशः 000156 राशि 30,00,000/– दिनॉक 15.02.2023 एवं धनादेश क्रमांक 000157 दिनॉक 15.03.2023 राशि 31,00,000/– रूपये उक्त दोनो धनादेश बैंक ऑफ बडौदा शाखा न्यु राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.) के प्रदान किये गये है।

5. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार उपरोक्त दायित्व के निर्वहन मे जारी उक्त धनादेशो के आधार पर उपरोक्त निष्पादित विक्रय इकरारनामे को आपसी सहमति व स्वीकृति के अनुरूप आज दिनॉक को विधिक शुन्य घोषित किया जा रहा है तथा उक्त अनुबंध पत्र आज दिनॉक से पूर्ण रूप से समाप्त व कालातीत माना जावेगा तथा उक्त के माध्यम से कोई भी अग्रिम कार्यवाही किसी भी मद मे पूर्ण नही की जावेगी।

6. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उपरोक्त दायित्व के निर्वहन मे प्रदत्त किये गये उक्त धनादेश के समाशोधन ना होने की स्थिति मे यह विक्रय इकरारनामा निरस्तीकरण स्वमेव समाप्त होकर विधिक शुन्य हो जावेगा तथा द्वितीय नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र व सक्षम होवेगा।

7. यह कि, प्रथम पक्ष शब्द की अभिव्यक्ति से उसके सभी दायद उत्तराधिकारी, विधिक वारीसान एवं विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित समझे व माने जावेंगे।

8. यह कि, द्वितीय पक्ष शब्द की अभिव्यक्ति से उसके सभी दायद उत्तराधिकारी, विधिक वारीसान एवं विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित समझे व माने जावेंगे।

अतः उपरोक्त विक्रय इकरारनामा आज दिनांक को मुकाम रायपुर (छ.ग.) में दो गवाहों के समक्ष उभय पक्षकारों ने पढ़कर, पढ़वाकर, सूनकर व समझकर, स्वस्थ चित्त की अवस्था में, उपरोक्त वर्णित संविदाओ के पालन की अभिस्वीकृति में अपने—अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर निष्पादित कर दिए ताकि सनद् रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

रायपुर (छ.ग.) — दिनांक 19/01/2023

गवाह :—

1. हस्ताक्षर ....
   नाम — शमीम मोहम्मद
   पिता — स्व. महबूब इलाही
   पता — वि. नि. विहार कालोनी मोवा रायपुर

2. हस्ताक्षर ....
   नाम — [illegible] यादव
   पिता — स्व. छेदन लाल यादव
   पता — संजय नगर मितान चौक के पास रायपुर (छ.ग.)

प्रथम पक्ष/विक्रेता
....

द्वितीय पक्ष /क्रेता
....

HDFC BANK
We understand your world

Deposit Slip जमा पर्ची (Customer Copy)

Date / दिनांक: 13 06 2023

Account Number / खाता संख्या: 50100225283553

Credit Card Number / क्रेडिट कार्ड संख्या:

Name / नाम: Praveen Kumar Malik

Cash/Cheque Details, ड्राफ्ट/चेकों का विवरण	Cheque No. / चेक नं.	Rupees / रुपये
Bank of Baroda	000157	31,00,000/—
	13 JUN	
	Total Rs. / कुल राशि	31,00,000/—

Rupees (In words) रुपये (शब्दों में): thirty one lack

Purpose for Payment: / भुगतान का उद्देश्य: only

Depositor's Signature / जमाकर्ता के हस्ताक्षर | Teller's Signature

HDFC BANK LTD
RAIPUR SERVICE BRANCH
PLOT NO 280, 1ST FLOOR, MAHADEV GHAT ROAD, SUNDER NAGAR,
BESIDES SUNDER NAGAR FILING STATION RAIPUR 492013 CHHATTISGARH
INDIA

Date : 15-JUN-2023

Dear Customer,

The Cheques(s) deposited by you was /were presented for collection and the same has/have been returned unpaid by the drawee bank on 15-JUN-2023.

We have debited your SAVINGS/CURRENT account 50100225283553 as per details mentioned below

Amount of Cheque	Cheque No.	Drawee Bank and Branch / Reason for return
3,100,000.00	000000000157	BANK OF BARODA & BEMETARA - CHATTISGARH FUNDS INSUFFICIENT

Cheque(s) enclosed.
Note: In case of cheque return under CTS clearing, the return memo is prepared as per the return reason advice received from the drawee bank under CTS Platform.
2496-SHANKAR NAGAR

To,
PRAVEEN KUMAR MALIK
FLAT NO. 21 3RD FLOOR, BANYAN TREE
KHAMHARDIH SHANKAR NAGAR
BANYAN TREE ENCLAVE
RAIPUR 492001, CHHATTISGARH, INDIA
Tel:
Mobile: 919425505813

Raipur

Yours Faithfully

For HDFC Bank

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

रायपुर- न्यू राजेन्द्रनगर शाखा, रायपुर - ४९२००६
RAIPUR-NEW RAJENDRA NAGAR BRANCH,RAIPUR - 492006
RTGS / NEFT IFSC CODE : BARB0VJNRAJ

जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैध / VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

CBS 15032023

चालू खाता CURRENT ACCOUNT

Pay Praveen Kumar Malik or Bearer

या धारक को

Rupees रुपये Thirty One Lack Only

अदा करें ₹ 31,00,000/—

751000

UTILITY FORMS PVT. LTD./CTS 2010

03/01/23

खा. सं. A/c No.	78570200000072

27000000207587

FOR ABBS STONE & CRUSNERS

VOID

HDFC BANK LTD. FC-4922400..R

B. B Singh

BRIJENDRA BAHADUR SINGH ANJU SINGH

Please sign above

CA/2012/UF

भारत की सभी शाखाओं पर सममूल्य पर देय
Payable at par at all branches in India | VJNRAJ

⑈000157⑈ 492012031⑆ 200072⑈ 29

//कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा, रायपुर (छत्तीसगढ़)//

क्रमांक– आर/नपुअ/वि.सभा/स.शि.जॉ.76/2022 दिनांक –27/12/2022

प्रति,

प्रवीण कुमार मलिक पिता श्री ब्रम्ह सिंह
उम्र 43 वर्ष फ्लैट नं. बी–21 बैनियन ट्री
एनक्लेव शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

– 000 –

आवेदक संजय कुमार साहू पिता श्री संतूराम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी– ग्राम भटिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन जॉच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, शिकायत जॉच में आपका कथन लेखबध्द किया जाना है।

अतः आपको सूचित किया जाता है, कि आप दिनांक 30.12.2022 के 12:00 बजे अपने प्रस्तुत शिकायत संबधित मूल दस्तावेजों/गवाहों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें, जिससे शिकायत जॉच में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

नगर पुलिस अधीक्षक
विधानसभा रायपुर (छ0ग0)

थाना प्रभारी खम्हारडीह नोटिस तामील कर 01 प्रति पावती से अवगत करावे ।

नगर पुलिस अधीक्षक
विधानसभा रायपुर (छ0ग0)